न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/153/2024 रजू दिनांकः19.11.2024 रजि0 न0 2024/266

अपीलार्थीः–

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, निवासी बीरबल का मौहल्ला, जैन मन्दिर के पास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 30.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 16.11.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 02.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू.आई.टी./आर.टी.आई/2024/9128 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी को आर.टी.आई क्रमांक 349/23 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 क अन्तर्गत सूचना आवेदन क्रमांक 7107/16.11.2023 के चार बिन्दुओं के संबंध में सूचना चाही गई थी। न्यास द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 805 दिनांक 23.04.2024 के द्वारा सूचना से अवगत कराया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत मय सलंग्नक जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 16.11.2023 के द्वारां वांछित चार बिन्दुओं की सूचना के संबंध में न्यास कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को आरटीआई कमांक 349/23 के द्वारा अवगत कराया जाना अंकित किया है किन्तु क्रमांक 349/23 की प्रति संलग्न नहीं की है जिससे ये प्रतीत होता हो कि अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराया जा चुका है। साथ ही न्यास द्वारा पत्रांक 805 दिनांक 23.04.2024 को सूचना से अवगत कराया जाना अंकित किया है किन्तु संलग्न जवाब प्रतिलिपि पत्रांक 804 दिनांक 23.04.2024 की है जिसमें बिन्दु संख्या 3 का जवाब संतुष्टिपूर्ण/स्पष्ट अंकन नही किया है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से जरिये पंजीकृत पत्र के माध्यम से वांछित सूचना अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)